FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 23/02/2021 16:36 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	175
3	IPC 1860	201
4	IPC 1860	204
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/02/2021 **Time (समय):** 13:15 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 23/02/2021 15:47 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): distt gurugram,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6.

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** Jai Chand

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1966 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466357877

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजेश कुमार आर्य			1. डी0एफ0ओ0 गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	मकसुद तत्कालिन वन रक्षक		Father's Name: श्री उसमान	1. निवासी रिठोज, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	गंगाराम		Father's Name: श्री हरनारायण	1. गांव बाघनकी जिला गुड़गांव, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	बुद्ध प्रकाश		Father's Name: बलबीर सिंह	1. गांव व डाकखाना झाड़सा जिला गुरू, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
5	जयभगवान		Father's Name: काटाराम	1. मातनहेल जिला झज्जर, JHAJJAR,HARYANA,INDIA
6	बालकृष्ण		Father's Name: श्री मांगेराम	1. दौलताबाद गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
7	अशोक कुमार		Father's Name: कलीराम	1. 680,सैक्टर 9 ए गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
8	युनिस			1. गांव गैरतपुर बास, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
9	जगदीश		Father's Name: श्री भीम सिह	1. गांव व डाकखाना झाडसा जिला गुरु, GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 17 दिनांक 23.10.2008 गुरुग्राम मे कुल दो आरोप थे, जिसमे आरोप नम्बर 1 यह था कि वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारीयो ने आपस मे मिलीभगत करके एफ0डी0ए0 परियोजन के तहत पहाडो पर चैक डेमो के निमार्ण मे कम चौडाई लम्बाई के निर्माण को सचैक डैमो की अधिक लम्बाई चौडाई दिखाकर या मौका पर कई चैक डैमो का निमार्ण नही करवाया उनके झुठे बिल बनाकर उनकी राशी को स्वयं हडप कर गये व आरोप न0 2 यह था कि सेठी लीज द्वारा अपने खानो के आस पास करवाये गये पौधारोपण को बन विभाग के कर्मचारी/अधिकारीयो द्वारा एफ0डी0ए0 परियोजना के तहत झुठा रिकार्ड तैयार करके अपने रिकार्ड मे दिखाकर राशी निकलवा ली मगर पंचायती जमीन का रिकार्ड देखा जाये जहां पर पौधा रोपण हुआ है से साफ प्रतीत हो जायेगा कि वन विभाग द्वारा व सेठी लीज द्वारा कितना- कितना पौधा रोपण करवाया गया है व पुराने काम को इस स्कीम के तहत करवाये जाने बारे झुठा रिकार्ड तैयार करके राशी निकलवाकर राशी को स्वय हडप पर गये । उक्त जांच की पडताल पर निरीक्षक, जयचन्द रा0चौ0ब्यू0 उप केन्द्र रेवाडी द्वारा की गई है । जांच अधिकारी की अन्तिम रिपार्ट अनुसार आरोप न0 1 के सम्बन्ध मे अरावली परियोजना व एफ0डी0ए0 परियोजना के तहत बनाये गये चैक डैमो का रिकार्ड प्राप्त करके तकनीकी राय प्राप्त की गई । तकनीकी राय अनुसार एफ0डी0ए0 परियोजना के तहत बनाये गये चैक डैमो के झूठे व फर्जी बिल तैयार करके 74,77,764/- रु का दुरुपयोग किया है । गाईड लाईन मे दिये गये दिशा – निर्देशो अनुसार व मकसूद तत्कालीन वन रक्षक, गंगाराम तत्कालीन वन दरोगा, बुद्ध प्रकाश तत्कालीन वन दरोगा, जगदीश तत्कालीन वन दरोगा, जय भगवान तत्कालीन वन दरोगा व बाल कृष्ण, अशोक कुमार व युनिस तत्कालीन सदस्य वी0एफ0सी0 द्वारा दिये गये कथनो अनुसार वी0एफ0सी0 के सचिवो द्वारा गुरुग्राम रेज व सोहना रेज मे चैक डैम बनाये गये है । जबकि पटौदी रेज मे कोई चैक डैम तैयार नही किया गया । और ना ही चैक डैम के नाम से राशी वितरण की गई । गुरुग्राम रेज व सोहना रेज मे ही चैक डैम तैयार किये गये है । गंगाराम पुत्र श्री हरनारायण गांव बाघनकी जिला गुडगांव तत्कालीन वन दरोगा, बुद्ध प्रकाश पुत्र बलवील सिह निवासी खण्डेवला गुरुग्राम तत्कालीन वन दरोगा, जगदीश पुत्र श्री भीम सिह कौशिक निवासी गांव व डाकखाना झाडसा जिला गुरुग्राम, जयभगवान पुत्र काटाराम निवासी मातनहेल जिला झज्जर तत्कालीन वन दरोगा गुरुग्राम रेज व पटौदी रेज की वी0एफ0सी0 के सचिव थे तथा बालकृष्ण पुत्र श्री मांगेराम निवासी दौलताबाद गुरुग्राम, अशोक कुमार पुत्र कलीराम निवासी मकान न0 680 सैक्टर 9ए गुरुग्राम व युनिस तत्कालिन सदस्य वी0एफ0सी0 गांव गैरतपुर बास वन रक्षक थे । जिन्होने चैक डैंम तैयार करने के झुठे बिल तैयार किये है और सरकारी राशी का गबन किया है । वन विभाग द्वारा जांच अधिकारी को बिलो और वाउचर से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया और आदेश क्रमांक 51 दिनांक 05.12.2014 अनुसार तत्कालीन डी0एफ0ओ0 श्री राजेश आर्य द्वारा विडीड आउट कर दिया गया । जांच अधिकारी द्वारा रिकार्ड देने का पत्र प्राप्त होने के बाद रिकोर्ड को नष्ट (Weed Out) करके श्री राजेश कुमार आर्य तत्कालीन डी0एफ0ओ0 गुरुग्राम ने मकसुद तत्कालीन वन रक्षक पुत्र श्री उसमान निवासी रिठोज,गंगाराम पुत्र श्री हरनारायण गांव बाघनकी जिला गुडगांव तत्कालीन वन दरोगा, बुद्ध प्रकाश पुत्र बलवीर सिह निवासी खण्डेवला जिला गुरुग्राम तत्कालीन वन दरोगा, जगदीश पुत्र श्री भीम सिह कौशिक निवासी गांव व डाकखाना झाडसा जिला गुरुग्राम, जयभगवान पुत्र काटाराम निवासी मातनहेल जिला झज्जर तत्कालीन वन दरोगा, बालकृष्ण पुत्र श्री मागेराम निवासी दौलताबाद गुरुग्राम, अशोक कुमार पुत्र कलीराम निवासी मकान न0 680 सैक्टर 9ए गुरुग्राम व युनिस तत्कालिन सदस्य वी0एफ0सी0 गांव गैरतपुर बास की सहायता करने के लिए अपराध धारा 201,204,175 भा0द0स0 किया है । आरोप न0 2 मे पौधारोपण के सम्बन्ध मे प्राप्त शुदा रिकार्ड का अवलोकन किया गया जो एफ0डी0ए0 परियोजना के तहत दिये गये दिशा निर्देश अनुसार वन मण्डल गुरुग्राम द्वारा 75 वी0एफ0सी0 बनाई जाकर उन गांवो मे पौधारोपण किया जाना था । जिस सम्बन्ध मे वन विभाग से प्राप्त रिकार्ड अनुसार कुल 25 वी0एफ0सी0 बनाई गई और उन मे से केवल 15 वी0एफ0सी0 को पैसा भेजा गया । इन 15 गांवो मे से कुछ गांवो के वी0एफ0सी0 चेयरमैनो को शामिल जांच करके कथन अंकित किये गये जिनके कथनो अनुसार पाया गया है कि वन विभाग द्वारा इन गांवो मे पंचायती जमीन पर पौधारोपण किया गया तथा वी0एफ0सी0 गठीत करने के लिये मिटिन्गे ली गई है तथा उन मिटिन्गो मे लडडु व समोसे खिलाने ब्यान हुये है और पंचायत को सार्वजनिक कार्यो मे प्रयोग मे आने वाली वस्तुये जैसे दरी, कुर्सी प्लास्टीक व स्कूल के लिये

पंखे व शादी वगैरा मे प्रयोग आने वाले बर्तन दिये जाने ब्यान हुये है । बी0एफ0सी0 के सचिवो के कथनो अनुसार पौधारोपण किया गया है । परन्तु किसी भी वी0एफ0सी0 सचिव ने अपने कथन मे यह नही बतलाया कि उन्होने कितने क्षेत्र मे पौधारोपण किया था । सेठी लीज के सम्बन्ध मे सेठी लीज से पत्राचार करके उसके द्वारा ली गई लीज का विवरण प्राप्त किया गया । सेठी लीज द्वारा जहां खनन कार्य किया गया था उन गांवो की वी0एफ0सी0 का रिकार्ड वन विभाग द्वारा नही दिया गया और ना ही यह बतलायागया कि यह वी0एफ0सी0 गठीत की गई थी या नही और इस सम्बन्ध मे रिकार्ड आदेश न0 51 दिनांक 05.12.2014 को वन विभाग द्वारा विडीड आउड किया जा चुका है । वी0एफ0सी0 के चैयरमैनो के साथ पौधारोपण किये गये स्थानो का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उस समय लगाये गये पौधा के बारे यह निशिचत नही कहा जा सकता कि जो पौधे उस समय लगाये गये थे वो आज वृक्ष बन चुके है । ये वही है या अन्य है तथा गांव चक्करपुर, टीकली, कादरपुर, बेहरामपुरा, गैरतपुर बास मे पहले पंचायत थी । तब वन विभाग द्वारा वी0एफ0सी0 गठीत करके पौधा रोपण किया गया था । परन्तु अब ये गांव नगर निगम गुरुग्राम के अधीन है और वह पंचायत भूमि नगर निगम गुरुग्राम के अधीन है । जिसके निरीक्षण से यह तस्दीक नही किया जा सकता कि उस समय यहां पौधारोपण किया गया था या नही क्योकि इतने वर्षो बाद यहां पर काफी बदलाव किया जा चुका है । वी0एफ0सी की प्राप्त शुदा केश बुको का अवलोकन किया गया जिसमे मजदुरी अदा करनी दर्शाई हुई है ष इन वी0एफ0सी0 द्वार उन मजदुरो के कोई भी मस्ट्रोल तैयार नही किये गये । इन वी0एफ0सी द्वारा तैयार किये गये बिलो/वाउचरो को जांच दर्ज रजिस्ट्र होने के बाद राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा पत्राचार करने उपरांत रिकार्ड न देकर श्री राजेश आर्य तत्कालीन डी0एफ0ओ0 गुरूग्राम द्वारा आदेश नं0 51 दिनांक 05.12.2014 अनुसार विडीड आउट किया जा चुका है । गांव चक्करपुर न नैनवाल के कुछ बिल/वाउचर मन विभाग से प्राप्त हुये थे जिनको तस्दीक करने प्रयास किये गये तो जिस दुकान से लड्डु व समोसे लिय गये थे वो दुकान अब मौजुद नही है तथा उस समय कार्य करने वाले कई मजदुरो की मौत हो चुकी है । जांच मे आरोपी श्री प्रेम सिंह जिला वन मण्डल अधिकारी, वेद प्रकाश वन दरोगा व किशन सिंह वन रक्षक को शामिल जांच करने के प्रयास किये गये तो पाया गया कि इन व्यक्तियो की मौत हो चुकी है जिनकी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये । मसुद वन रक्षक को शामिल जांच करके कथन अंकित किये गये । एफ0डी0ए0 परियोजना के तहत वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एफ0डी0ए0 गुरूग्राम के खाता संख्या एस0बी0 71052 अनुसार 2,31,00,000 रू0 की राशी जमा होनी दर्शाई हुई है और राशी को वर्ष 2001 के माह जून-जुलाई मे अलग-अलग चैको के माध्यम से अलग अलग वी0एफ0सी को व जनवरी फरवरी 2002 मे भी इसी प्रकार चैको के माध्यम से अलग अलग वी0एफ0सी को पैसे दिया जाने दर्शाये हुये है । चैक नं0 805,802,803,804 मे 11,15,000 रू0 जगदीश के नाम से व 10,00,000 रू0 जयभगवान के नाम चैक नं0 801 जारी किये हुये है । इसके अलावा सभी चैक वी0एफ0सी के गांव के नाम से जारी किये हुये है । वन मण्डल गुरूग्राम द्वारा जिन वी0एफ0सी को राशी जारी की गई थी । उन की सुचि दी गई है । जिसमे कुल 15 ही वी0एफ0सी को राशी जारी करनी दर्शाई हुई है । जबकि बैंक खाता डिटेल से ताजनगर, भांगरोला, काकरोला, बिस्सर, नया गांव. रायपुर, उजीना, पंचगांव खोरी, रोजका मेव, इत्यादि को राशी चैक द्वारा दी हुई है परन्तु इनका कोई भी रिकार्ड वन विभाग नही दिया गया ना ही कोई वी0एफ0सी की कैश बुक दी गई । बैंक खाता की डिटेल व वन विभाग द्वारा दिये गये रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि मन विभाग मे उस समय तैनात कर्मचारी/अधिकारी ने इन रूपयो को मिलीभगत करके गबन किया है और इस सम्बंध मे कोई रिकार्ड तैयार नही किया गया । श्री प्रेम सिंह वन मण्डल अधिकारी, वेद प्रकाश वन दरोगा, श्री किशन वन रक्षक, मकसुद तत्कालिन वन रक्षक पुत्र श्री उसमान निवासी रिठोज, गंगाराम पुत्र श्री हरनारायण गांव बाघनकी जिला गुड़गामव तत्कालीन वन दरोगा, बुद्ध प्राकश पुत्र बलबीर सिंह निवासी खण्डेवला जिला गुरूग्राम तत्कालीन वन दरोगा, जगदीश पुत्र श्री भीम सिंह कौशिक निवासी गांव व डाकखाना झाड़सा जिला गुरूग्राम, जयभगवान पुत्र काटाराम निवासी मातनहेल जिला झज्जर तत्कालीन वन दरोगा, बालकृष्ण पुत्र श्री मांगेराम निवासी दौलताबाद गुरूग्राम, अशोक कुमार पुत्र कलीराम निवासी मकान नं0 680 सैक्टर 9 ए गुरूग्राम व युनिस तत्कालीन सदस्य वी0एफ0सी गांव गैरतपुर ने मिलीभगत करके चैक डैम के सम्बंध मे झुठे बिल/वाउचर तैयार करके तथा पौधारोपण के सम्बंध मे दिये गये दिशा निर्देशो अनुसार 75 वी0एफ0सी तैयार न करके केवल 25 वी0एफ0सी तैयार का जाकर 15 वी0एफ0सी मे रूपये डालकर व ताजनगर, भांगरोला काकरोला, बिस्सर, नया गांव, रायपुर, उजीना, पंचगांव खोरी, रोजका मेव, इत्यादि को राशी चैक द्वारा दी हुई है परन्तु इनका कोई भी रिकार्ड मन विभाग नही दिया गया ना ही कोई वी0एफ0सी की कैश बुक दी गई । उन पैसो का गबन करके तथा अपने पद का दुरूप्योग करके अपराध जेर धारा 420,467,468,471 व 120 बी0 भा0द0स0 तथा 13(1) डी पी0सी0 एक्ट का किया है । जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण करके अन्तिम रिपोर्ट मय फाईल

रिकार्ड पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल के माध्यम से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला भेजी गई जिसमे जांच अधिकारी ने आरोप नम्बर 1 मे राजेश कुमार आर्य तत्कालीन डी0एफ0ओ0 गुरूग्राम, मकसुद तत्कालिन वन रक्षक पुत्र श्री उसमान निवासी रिठोज, गंगाराम पुत्र श्री हरनारायण गांव बाघनकी जिला गुड़गांव तत्कालीन वन दरोगा, बुद्ध प्रकाश पुत्र बलबीर सिंह निवासी गांव व डाकखाना झाड़सा जिला गुरूग्राम, जयभगवान पुत्र काटाराम निवासी मातनहेल जिला झज्जर तत्कालीन वन दरोगा, बालकृष्ण पुत्र श्री मांगेराम निवासी दौलताबाद गुरूग्राम, अशोक कुमार पुत्र कलीराम निवासी मकान नं0 680 सैक्टर 9 ए गुरूग्राम व युनिस तत्कालीन सदस्य वी0एफ0सी गांव गैरतपुर बास के विरूद्ध धारा 201, 204 व 175 भा0द0स0 के अन्तर्गत व आरोप नं0 02 मकसुद तत्कालिन वन रक्षक पुत्र श्री उसमान निवासी रिठोज, गंगाराम पुत्र श्री हरनारायण गांव बाघनकी जिला गुडगांव तत्कालीन वन दरोगा, बुद्ध प्रकाश पुत्र बलवीर सिह निवासी खण्डेवला जिला गुरुग्राम तत्कालीन वन दरोगा, जगदीश पुत्र श्री भीम सिह कौशिक निवासी गांव व डाकखाना झाडसा जिला गुरुग्राम, जयभगवान पुत्र काटाराम निवासी मातनहेल जिला झज्जर तत्कालीन वन दरोगा, बालकृष्ण पुत्र श्री मांगेराम निवासी दौलताबाद गुरुग्राम, शोक कुमार पुत्र कलीराम निवासी मकान न0 680 सैक्टर 9ए गुरुग्राम व युनिस तत्कालिन सदस्य वी0एफ0सी0 गांव गैरतपुर के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,120बी0 भा0द0स0 व 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने की सिफारिश की थी । जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 42/19/08-03 चौ0(t) दिनांक 12.01.2021 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 1815/आई0-2/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 01.02.2021 के अनुसार उपरोक्त आरोपियो के विरुद्ध उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश प्राप्त हुये है । पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के डायरी क्रमांक 308 दिनांक 22.02.2021 के अनुसार महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला से अनुमति उपरान्त तहरीर तैयार करने व आगामी तफतीश करने के आदेश प्राप्त हुये है । जो आरोप न0 1 व आरोप न0 2 से सम्बन्धित सभी आरोपियान के विरुद्ध जेर धारा 201,204,175,420,467,468,471,120बी0 भा0द0स0 व 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराने के लिये तहरीर हवाले थाना मोहर्र, राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम की गई और हिदायत दी गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके पर्चा नम्बर से सूचित किया जावे व स्पैशल रिपोर्ट बिना किसी देरी के ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरानबाला की सेवा मे भिजवाई जावे । YASHBIR अनुसंधान अधिकारी (निरीक्षक यशबीर) राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम । दि0 -23.02.2021 अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त EHC उदयवीर न0 805/पलवल के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक यशबीर रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EHC उदयवीर न0 805/पलवल के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Yasvir singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): SR57 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.